

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश, राज्यांश
एवं राज्य स्कीम (राज्यांश सहित) राशि

3/यो0-28/2017(खण्ड)
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2019-20)

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु०),

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:-

समेकित बाल विकास छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऑगनबाडी सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश मद में रु. 165331.22 लाख (रु. सोलह सौ तिरपन करोड़ एकतीस लाख बाइस हजार), राज्यांश मद में रु. 50919.96/- लाख (रु. पांच सौ नौ करोड़ उन्नीस लाख छियानवे हजार) एवं राज्य स्कीम मद में रु. 29480.00/- लाख (रु. दो सौ चौरानवे करोड़ अस्सी लाख) यानी कुल रु. 245731.18/-लाख (रु. दो हजार चार सौ सनतावन करोड़ एकतीस लाख अठारह हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के जापांक-5724 दिनांक-27.11.2017, पत्रांक 2056 दिनांक 15.06.17, पत्रांक 1108 दिनांक 16.03.18, पत्रांक 5781 दिनांक 14.12.18 एवं भारत सरकार के पत्र सं०- 14-4/2018-CD.II (e-66710) दिनांक 25.03.2019 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा बच्चों, किशोरियों, महिलाओं, धातृ महिलाओं में कुपोषण दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वित्त विभाग, बिहार, के पत्रांक 256/वि० दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय का 33 प्रतिशत ही राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऑगनबाडी सेवाएँ के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रु. 81431.78/- लाख (रु. आठ सौ चौदह करोड़ एकतीस लाख अठठतर हजार), राज्यांश राशि रु. 25079.97/- लाख (रु. दो सौ पचास करोड़ उनासी लाख सनतान्वे हजार) एवं राज्य स्कीम में रु. 14520.00/- लाख (रु. एक सौ पैतालीस करोड़ बीस लाख) यानी कुल रु. 121031.75/- लाख (रु. एक हजार दो सौ दस करोड़ एकतीस लाख पचहत्तर हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या 23 दिनांक 08.04.2019 द्वारा प्रदान की गयी थी। पुनः वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 732/वि० दिनांक 31.07.2019 के आलोक में राशि 245731.18/- लाख (रु. दो हजार चार सौ सनतावन करोड़ एकतीस लाख अठारह हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	PFMS Code	विषय शीर्ष	योजना उदव्यय	पूर्व में कुल योजना उदव्यय के 33% स्वीकृत राशि	वर्तमान/शेष वर्ष के लिए कुल योजना उदव्यय का 67% स्वीकृत राशि
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि							
1	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) (स्थापना प्रशिक्षण सहित) (51-2235021020222)	60:40/ 25:75	9281	0222.01.01, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 02.01, 05.01, 06.01, 11.01, 13.01, 13.02, 13.06, 13.10, 14.01, 16.01, 20.03, 21.01, 26.01, 28.02, 52.01	85415.65	28187.16	57228.49

2	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन-एन0एन0एम0 (ISSNIP सहित) (51-2235021020225)	60:40/ 80:20	1202	0225.02.01, 13.01, 13.10, 20.02, 20.03, 21.01, 26.01, 28.02	19816.52	6539.45	132.07
3	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) पूरक पोषाहार-सामान्य (51-2236021010203)	50:50	9281	0203.21.03	75836.17	25025.94	50810.23
4	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) पूरक पोषाहार-विशेष घटक (51-2236027890204)	50:50	9281	0204.21.03	52091.04	17190.04	34901.00
5	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन (51-2235021030219)	60:40	9226	0219.31.06	5228.74	1725.48	3503.26
6	मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) (51-2235021030225)	60:40	3534	0225.31.06	2213.40	730.42	1482.98
7	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)(किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एस0ए0जी0) (51-2235021020224)	60:40/ 50:50	9200	0224.20.03, 21.03	3018.78	996.20	2022.58
8	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) (आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, उत्क्रमण, मरम्मत, पेयजल सुविधा एवं शौचालय का निर्माण) (51-4235021020208)	75:25/ 60:40	9281	0208.27.01, 53.01	3082.70	1017.29	2065.41
9	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (51-2235021020226)	60:30:10	1177	0226.31.06	60.00	19.80	40.20
योग:-1 (रु. सोलह सौ तिरपन करोड़ एकतीस लाख बाइस हजार)						81431.78	165331.22
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि							
10	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) (स्थापना प्रशिक्षण सहित) (51-2235021020322)	60:40/ 25:75	9281	0322.01.01, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 02.01, 05.01, 06.01, 11.01, 13.01, 13.02, 13.06, 13.10, 14.01, 16.01, 20.03, 21.01, 26.01, 28.02, 52.01	25324.52	8357.09	16967.43
11	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन-एन0एन0एम0 (ISSNIP सहित) (51-2235021020325)	60:40/ 80:20	1202	0325.02.01, 13.01, 13.10, 20.02, 20.03, 21.01, 26.01, 28.02	3303.00	1089.96	2213.01
12	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) पूरक पोषाहार-विशेष घटक (51-2236027890304)	50:50	9281	0304.21.03	37542.43	12389.00	25153.43
13	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) पूरक पोषाहार-जनजातीय (51-2236027960305)			0305.21.03	7550.00	2491.50	5058.50
14	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)(किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एस0ए0जी0) -सामान्य (51-2235021020324)	60:40/ 50:50	9200	0324.20.03, 21.03	699.74	230.91	468.83
15	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)(किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एस0ए0जी0)-विशेष घटक (51-2235027890312)	50:50		0312. 21.03	233.24	76.97	156.27
16	मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) (51-2235021030325)	60:40	3534	0325.31.06	1317.00	434.61	882.39
17	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (51-2235021020326)	60:30:10	1177	0326.31.06	30.00	9.90	20.10
योग:-2 (रु. पांच सौ नौ करोड़ उन्नीस लाख छियानवे हजार)						25079.97	50919.96

राज्य स्कीम (राज्यांश सहित)							
18	ऑगनबाडी सेवाएँ (आईसीडीएस) (स्थापना) (51-2235021020327)	00:100	9281	0327.01.01, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 02.01, 05.01, 06.01, 11.01, 13.01, 13.02, 13.06, 14.01, 28.02, 37.01, 52.01	28516.88	9410.57	19106.31
19	ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना-सामान्य (51-2235021020117)	0:100		0117.34.01	10674.84	3522.70	7152.14
20	ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना-विशेष घटक (51-2235027890103)			0103.34.01	3558.28	1174.23	2384.05
21	समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत मैनेजमेंट इन्फोरमेंशन सिस्टम हेतु (MIS) (51-2235021020105)	0:100		0105.28.02	1250.00	412.50	837.50
योग:-3 (रु. दो सौ चौरानवे करोड़ अस्सी लाख)						14520.00	29480.00
कुल (योग 1+2+3):- (रु. दो हजार चार सौ सनतावन करोड़ एकतीस लाख अठारह हजार)						121031.75	245731.18

- स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी 38 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रखंड/परियोजना स्तर पर सभी 544 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।
- उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि० दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि० दिनांक 16.01.18, पत्रांक 256/वि० दिनांक 26.02.2019, 732/वि० दिनांक 31.07.2019 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
- यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०-28/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 23/टि० पर दिनांक 05.08.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे एवं इस राशि का व्यय केवल उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।
- यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०-28/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 23/टि० पर दिनांक 06.08.2019 को माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
- यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वास भाजन

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु०)

जापांक- 3/यो०-28/2017(खण्ड)

1/45/दिनांक-

07-08-2019

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस., निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त निदेशक (मु०)

जापांक- 3/यो०-28/2017(खण्ड)

1/45/दिनांक- 07-08-2019

2

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त निदेशक (मु०)